



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22-11-2020

दिनांक 20/21-11-2020 को रात्रि थाना गोमतीनगर 01, काकोरी 04, पी0जी0आई0 03, सुल्तानत गोल्फ सिटी 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

महानगर:-दिनांक 21-11-2020 को श्री यटाकांत सिंह प्रभारी निरीक्षक महानगर लखनऊ द्वारा अभि0 1-सद्दाम पुत्र आरिफ निवासी अकबरनगर फैजाबाद रोड़ थाना महानगर लखनऊ 2-आरिफ पुत्र मो0 मोहरम अली निवासी अबकरनगर फैजाबाद रोड़ थाना महानगर लखनऊ 3-अजरु पुत्र जकी निवासी अकबरनगर थाना महानगर लखनऊ 4-इरफान पुत्र सहबान निवासी अकबरनगर फैजाबाद रोड़ थाना महानगर लखनऊ 5-आदिल पुत्र ङकील निवासी अकबरनगर थाना महानगर लखनऊ 6-अतीक पुत्र लियाकत निवासी अकबरनगर थाना महानगर लखनऊ 7-मेराज पुत्र ङमी निवासी अकबरनगर थाना महानगर लखनऊ 8-अनमुद्दीन पुत्र नियाम निवासी अकबरनगर फैजाबाद रोड़ थाना महानगर लखनऊ के विरुद्ध धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही:-

मडियाँव:-दिनांक 22-11-2020 को श्री विपिन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मडियाँव लखनऊ द्वारा अभि0 1-लवकुटा यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी मुबारकपुर थाना मडियाँव लखनऊ 2-विजय यादव पुत्र स्व0 सर्वजीत यादव निवासी तरहिया थाना मडियाँव लखनऊ के विरुद्ध धारा 110 जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध ङाराब के साथ गिरफ्तार।

काकोरी:-दिनांक 21-11-2020 को एस0आई0 श्री सुखपाल सिंह थाना काकोरी लखनऊ द्वारा अभि0 1-रामसागर पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम मलहा थाना काकोरी लखनऊ को ग्राम मलहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 30 क्वार्टर अवैध ङाराब बरामद कर थाना काकोरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

मोहनलालगंज:-दिनांक 22-11-2020 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती फूलमती पत्नी श्री मोहनलाल निवासी ग्राम खुजौली थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने

थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 15-11-2020 को समय 02.00 बजे वादिनी के पति मोहनलाल अपनी साइकिल को मांगने विपक्षी के पास गये थे, इसी बात को लेकर विपक्षी राधे, श्रीराम पुत्रगण जीतल, राधे की पत्नी व श्रीराम के लड़के ने बुरी तरह मारा तथा कुल्हाड़ी मार दी, जिससे वादिनी के पति मौके पर गिर गये, और गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 659/2020 धारा 323/325 भादवि का अभियोग बनाम 1-राधे 2-श्रीराम 3-राधे की पत्नी 4-श्रीराम के लड़के के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री होरीलाल मो0नं0 7652061321 द्वारा की जा रही है।

AMEDIA